



विद्या शिक्षा पद्धतिकारी कार्यालय | SARAN
शिक्षा नियम, बिहार सरकार, भट्टगाँ



संदर्भ में

अधिकारी / अधिकारीयका / प्राप्ति

RSK Global School

C/o RSK Global School

विषय : - यहाँ की मुफ्त एवं अधिकारी शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की पारा 18 के प्रयोजनार्थ वालों की मुफ्त एवं अधिकारी शिक्षा नियम 11 के उपलब्ध के अनुसार विद्यालय एवं प्रशिक्षित का प्राप्ति पाए।

महालय,

आपके अनुदान पत्र दिवाक. 17-12-2021 और उसके बाद में आपको किये गये प्राचार एवं विद्यालय के लिये गए नियमण एवं विद्या राजीव नियामीय विभाग के वैठक दिनांक : 03-11-2022 में लिये गए विवरण के आलोक में आपके विद्यालय RSK Global School, C/o RSK Global School, Salakhuan, 841402 को प्रदान की गई विद्यालय की विद्यालय विद्यालय एवं प्रशिक्षित प्रदान की गयी है।

प्रदान प्रशिक्षित लिया गया के अनुपातन के अधीन होगी।

1. प्रशिक्षित लिया गया विद्यालय के बाह्य 6 तक वी सीमा के बाहर मात्र भी होगी।
2. विद्यालय वालों की मुफ्त एवं अधिकारी शिक्षा अधिनियम, 2009 द्वारा विद्यालय एवं अधिकारी शिक्षा नियमावधी 2011 का अनुपातन आवश्यक स्तर से शुरू किया जाएगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में वालों के मानपात्रन की कुल धनता का 25 प्रतिशत वालों का नामांकन अपने पढ़ोगा के कमज़ोर वार्ष एवं अलाभकारी राशि के वालों का बारेंगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अधिकारी वासियों विद्यालय एवं प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पहले विद्यालय में पूर्ण प्राप्तिक विद्यालयों का गान्धारन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्ण प्राप्तिक विद्यालय के लिए भी लिया जाएगा।

4. कठिनाई 3 में उद्दत वालों के मानसे में विद्यालय को वालों की मुफ्त एवं अधिकारी शिक्षा अधिनियम की पारा 12 की उपपारा 2 के आलोक में विविध राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अताग से यैक खाता का संपारण करेगा।

5. रोतार्की / विद्यालय के द्वारा लियी प्रकार या ऐप्पिटेन परीक्षा नहीं प्राप्त लिया जाएगा तथा लियी गयी विद्यालय उपरांग का रजीनिंग रेट नहीं लिया जाएगा।

6. विद्यालय लियी वाले के नामांकन से उसके उप प्राप्ति पत्र के अनुपातन नामांकन की वित्तारित गंवापि के बाद तथा पर्व, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों पर इसमें से लियी एक कारण के आधार पर दृष्टिकोण नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिया गया शुरू किया गया :

- (i) लियी गयी नामांकित वाले को लियी गयी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही लियी गयाकित विद्या को प्राप्तिक विद्या पूरी होने तक विद्यालय से विद्यालय लिया जाएगा।
- (ii) लियी गयी वाले को लियी प्रकार या शारीरिक दृष्टि नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक स्तर से प्रताक्षिप्त नहीं लिया जाएगा।
- (iii) लियी गयी वाले को प्राप्तिक विद्या पूरी करने के लिए लियी गयी प्रकार के भोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्राप्तिक विद्या पूरी करने वाला प्रतीक विद्या को नियम 22 के आलोक में प्राप्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्राप्तिक वालों के आलोक में टिक्कांग विद्यालय का सम्पादन किया जाएगा।
- (vi) विद्युकों का नियोजन अधिनियम की पारा 23 की उपपारा 1 से उनके लिए विविध व्युत्पाद विद्यालय के अनुरूप लिया जाएगा।
- (vii) विद्युक अधिनियम की पारा 24 की उपपारा 1 में प्राप्तिक विद्युकों के सावित्र विद्युक लिये होंगे।
- (viii) विद्युक लियी सार पर लियी गयी प्रकार की विद्युक विविधी में संतुष्ट नहीं होगी।

Principal
RSK GLOBAL SCHOOL
Salakhuan, Amnour (Saran)

A.K.Lal

MANAGER
RSK Global School
Salakhuan, Amnour (Saran)

- मेर्स सरकार अपवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यधर्म का अनुसारण करेगा।
ग्रन्थ अधिनियम की धारा 19 के प्राक्षानों के आतोक में उपत्यक सुविधाओं के अनुपातिक स्तर से उच्चों का नामांकन करेगा।
दियातप अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को घरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपत्यक सुविधाओं का विवरण निपत्र
- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 20000 डिसमिट
 - (ii) कुल निर्धारित क्षेत्र :- 20000 डिसमिट
 - (iii) ऐस के भैदान का हीड़ :- Computer Lab Science Lab Sports Ground Library etc
 - (iv) पार्स कक्षों की कुल संख्या :- 15
 - (v) प्राचनाध्यापन-नाह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 6
 - (vi) यात्रक तथा वातिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western, Boys :- 16 , Girls 16
 - (vii) पेयजल की कुविधि :- 2
 - (viii) संधार भौजन के लिये रसोई पर :- 1
 - (ix) बाधारहित पहुँच :-
 - (x) शिक्षण अधिकार समर्थी खेत-कुद उपयरण पुरतरालय :- Attached , Attached , (Y , 100 , NewsPaper Magazine:- 3)

11. कोई भी अवस्थाका वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अपवा अन्य स्तरनाएँ अपवा भैदान का उपयोग केवल विद्या तथा कोशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अपवा किसी निर्धारित समय में शायु कानून के तहत गठित विद्यालय के द्वारा द्वारा संबंधित होगा।
14. विद्यालय किसी घटिका, समूह अपवा घटिकाओं के संघ अपवा किसी अन्य घटिकाओं के ताप के लिए संबंधित नहीं होगा।
15. तेजा का अंकेक्षण एवं उत्तरांशालीकरण चार्टर्स एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आतोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी देवार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक दृष्टि प्रतिवर्ष वित्त विधा विधा अपीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीक्षित कोड संख्या [219126120211217155557, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रवाहार करने में इस कोड को जीवित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राधिकरण विद्या / वित्त विधा पदाधिकारी के द्वारा समय-समावय-मांग लिए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपत्यक लाइसेंस और राज्य सरकार के स्तर से प्रत्येक विद्यालय की शर्तों के तागातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अपवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को द्वारा छारने हेतु सम्पत्तसमय पर निर्भत अनुदेशों का अनुसारतन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निवेदन के नीतिकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुसारक III के स्पष्ट में सलग्र अन्य शर्तें

विद्यालय
काल्पनिक विद्यालय
सारांश, सारांश

विद्यालय
काल्पनिक विद्यालय
सारांश, सारांश
विद्यालय
काल्पनिक विद्यालय
सारांश, सारांश

Principal
RSK GLOBAL SCHOOL
Salakhuan, Amnour (Saran)

AKhil

MANAGER
RSK Global School
Salakhuan, Amnour (Saran)

